



फर्द अहकाम

अर्जुन बनाम रामशरण वगै०  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)  
 मुकदमा नम्बर ...../2025 दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा  
 जीसीएमएस संख्या: 2025/132

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8.12.25	कुलाबे फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः अत्रावली दिनांक 23.01.26 को पेश हो। 
	23 <sup>01</sup> / <sub>26</sub>	मुकुलाबे फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः अत्रावली दिनांक 18.2.26 को पेश हो। 
	18 <sup>02</sup> / <sub>26</sub>	<p>पत्रावली पेश। वादी की दौलत के                      उपरिचय नहीं। आपालप समुप के दौलत                      बाल-बाल कायज लगाने के बाद भी                      वादी की दौलत के गैर उपरिचय नहीं                      करने के बाद वादी का वादपुन निदम                      छजडी एवं अदम पंरकी में खारिज किया                      जात है। पत्रावली केसल शुमार होकर फर्द                      कायम से कम हो वादु फरिदल उपरिचय</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी                      पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>